अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 446(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ''हिंदुजा फाउन्डेशन, हिंदुजा हाउस, 171 डा. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई-400018'' द्वारा ''मेडिकल मोबाइल यूनिट परियोजना'' की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-2014 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना के रूप में 3.90 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत को 3.90 करोड़ रुपए से 8.05 करोड़ रुपए तक बढ़ाए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को 3.90 करोड़ रुपए से 8.05 करोड़ रुपए तक संशोधित करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा ''हिंदुजा फाउन्डेशन, हिंदुजा हाउस, 171 डा. एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुम्बई-400018'' द्वारा चलाई जा रही ''मेडिकल मोबाइल यूनिट परियोजना'' की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ; और

(ख) दिनांक 14.06.2011 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1370(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और आगे संशोधित करती है, नामत :-

'उक्त अधिसूचना में आयकर अधिनियम की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 9, कालम (4) के सामने सारणी में, '3.90 करोड़ रुपए' अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए '8.05 करोड़ रुपए' अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।'

[सं. 76/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-**एसओ** (रा.स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)